सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

17/01/22

पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के
वकील उपस्थित। भूमि धारक तहसीलदार
गुड़ामालानी के पत्रांक 06 दिनांक 14/12/2021
द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जो
पत्रावली के संलग्न है। वकील वादीगण
द्वारा माननीय प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त होने से स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये
जाने हेतु 100/- का स्टाम्प पेश किया। इनके
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के विद्वान
अभिभाषकगणों की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी
ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते
हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादी
व प्रतिवादीगण विवादित भूमि के 1/2-1/2 हिस्से
के खातेदार है तथा विभाजन का यह नियम है
कि प्रत्येक खसरे की भूमि में वादी व प्रतिवादी
को 1/2-1/2 हिस्से किये जावें। वादी को
प्राप्त होने वाली नहर के पास की भूमि प्रतिवादी
के हिस्से में नहर वाली भूमि से अधिक है
इसलिए वादी को प्राप्त होने वाली नहर
के पास वाली भूमि ख.नं. 49/1 में से
भी प्रतिवादी को भूमि दिलाई जावे। तथा
प्रत्येक खसरे की भूमि में वादी व प्रतिवादी
को 1/2 1/2 हिस्से [illegible] विभाजन
प्रस्ताव [illegible] किया
किया कि वादी के हिस्से में नहर वाली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सड़क के पास वाली भूमि दी गई जो कि सड़क की नहर की भूमि व सड़क वाली प्रतिवादी की नहर की जिससे प्रतिवादी को काश्त भूमि नहीं दी गई है अतः विभाजन प्रस्ताव पर से वंचित रखा है इसके विपरीत वकील वादी ने आपत्ति की है इसके विपरीत भूमि धारक अपनी बहस में जाहिर किया कि तात्विक प्राथमिक तहसीलदार मुआफालात ने किया है डिक्री विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जहां वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने मौखिक बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि बांटकर दी थी और जहां पर पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है बंटवारा से प्राप्त भूमियां वादी व प्रतिवादी को बंटवारा से प्राप्त भूमियां दोनों ही भूमियां नहर के पास है तथा दोनों ही भूमियां सड़क के पास है एक प्रकार न तो वादी को नहर की भूमि के पास से वंचित रखा है और ना ही प्रतिवादी को वंचित रखा है इसी प्रकार वादी को प्राप्त होने वाली भूमि भी सड़क के नजदीक है तथा प्रतिवादी को प्राप्त होने वाली भूमि भी सड़क पर है भूमि धारक तहसीलदार मुआफालात ने विभाजन प्रस्ताव विभाजन नियमों के तहत ही वादी व प्रतिवादीगण के पूर्व से ही चले आ रहे कब्जा काश्त की भूमि के अनुसार ही [illegible] है अतः प्रस्तुत विभाजन [illegible] कर अंतिम डिक्री किया जावे। इनके दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया प्राथमिक डिक्री, पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की त... जारी ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मैंने भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का गंभीरता पूर्वक गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। वादी के हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि का ख.नं. 49/1 तथा प्रतिवादी को प्राप्त होने वाली भूमि का ख.नं. 74/3 दोनों ही नहर के पास है जिससे वादी व प्रतिवादी को नहर की सुविधा प्राप्त है वादी को प्राप्त होने वाले हिस्से का ख.नं. 49/1 सड़क के पास है तथा प्रतिवादी को प्राप्त होने वाला ख.नं. 56/6 सड़क पर है इस प्रकार वादी व प्रतिवादी दोनों ही नहर व सड़क सुविधा से जुड़े हुए हैं तथा वकील वादी की बहस है कि वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से मौखिक बंटवारा कर दी गई भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज है [रही] अनुसार कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया है इस तथ्य का वकील प्रतिवादी ने प्रतिरोध नहीं किया है तथा अपने काउन्टर क्लेम अनुसार ख.नं. 49/1 में से भी तथा प्रत्येक खसरे में से बराबर-बराबर हिस्सा चाहा है। भूमि धारक द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है भूमि 7 खसरों में विभक्त है यदि प्रत्येक खसरे की भूमि में वादी व प्रतिवादी को 1/2-1/2 हिस्से दिये जावें तो भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे और पुनः वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा काश्त विवादित विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी भूमि की कब्जा काश्त में भूमि के टुकड़े किये जाकर भूमि में बदलाव किया जाना न्यायोचित नहीं है। भूमि धारक द्वारा भूमि की उपयोगिता, नहर व सड़क की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वादी व प्रतिवादी के [illegible] अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव मालिक प्रा[illegible] व विभाजन किये के [illegible] किया गया है अतः भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा विभाजित आराजी खसरा मौजा डाबली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:48 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी